06-02-2023

महामारी संधि का जीरो-ड्राफ्ट प्रकाशित किया

समाचार पत्रों में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की अंतर-सरकारी वार्ता संस्था (INB) ने 1 फरवरी को महामारी संधि का 'शून्य-ड्राफ्ट' प्रकाशित किया। इसके साथ, विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले अंतिम दस्तावेज पर आधिकारिक रूप से बातचीत शुरू होगी 2024 में, वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर की महामारी की तैयारी के लिए आवश्यक होगा।

त्वरित मुद्दा?

- विकास को बारीकी से देखने वाले विशेषज्ञों ने बौद्धिक संपदा अधिकारों, पारदर्शिता, लाभ साझाकरण और इक्विटी को दिए गए महत्व की सराहना की है। हालाँकि, यह देखा जाना बाकी है कि इन मुद्दों का कौन सा संस्करण अंततः महामारी संधि के अंतिम मसौदे में अपनी जगह पाएगा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- इस संधि का उद्देश्य महामारी और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना है
- सहयोग और समानता के साथ कोविड-19 महामारी की रोकथाम में अंतर्राष्ट्रीय समाज की विफलता को स्वीकार करते हुए महामारी संधि का शून्य-ड्राफ्ट तैयार किया गया था।

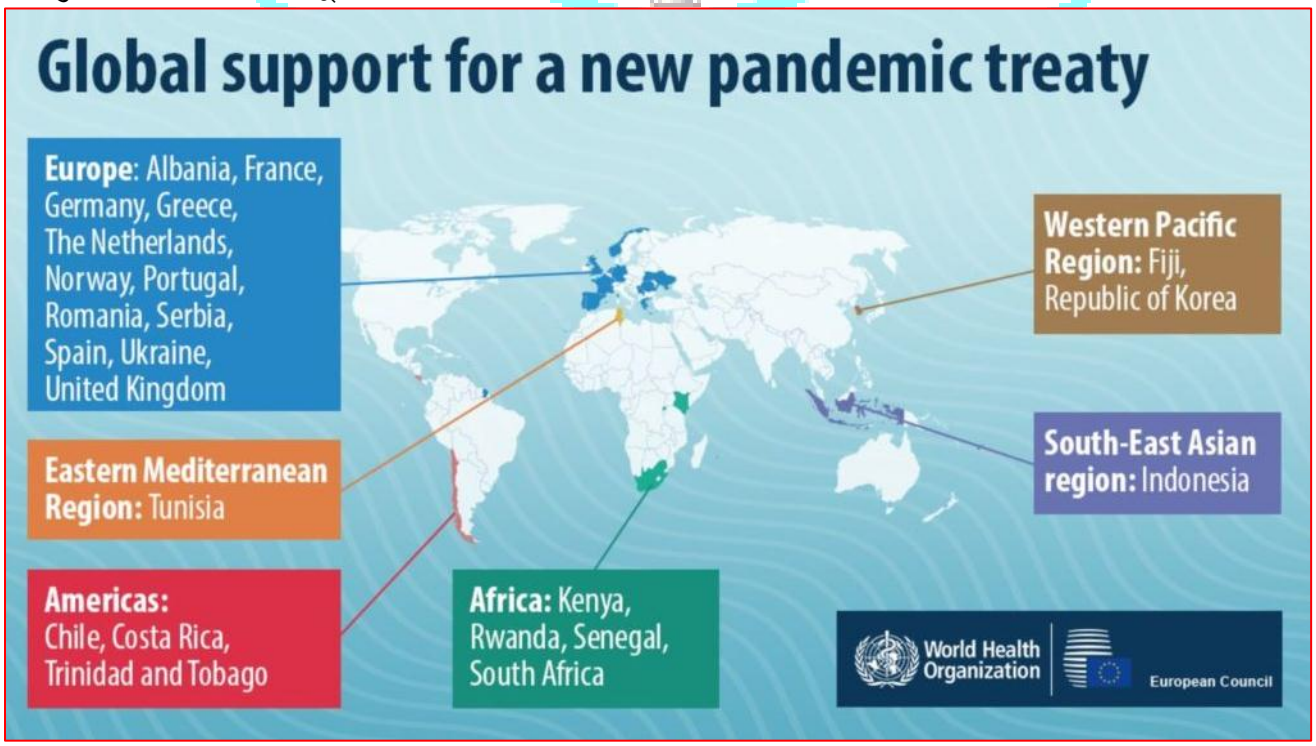

- यह महामारी और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य आपदाओं से निपटने के लिये बेहतर तैयारी और इनकी रोकथाम के लिये विश्वव्यापी समन्वय और सहयोग की मांग करता है।
- यह सभी देशों में विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में स्वास्थ्य प्रणालियों को मज़बूत करने की आवश्यकता पर बल देता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे महामारी और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिये बेहतर तरीके से तैयार हैं।

  यह महामारी और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान टीके, निदान और उपचार जैसी आवश्यक स्वास्थ्य तकनीकों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने पर बल देता है।
- यह स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने का आह्वान करता है, विशेष रूप से उन बीमारियों हेतु जो वैश्विक स्वास्थ्य के लिये एक गंभीर खतरा पैदा करती हैं।
- यह महामारी और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के संदर्भ में अधिक पारदर्शिता एवं जानकारी साझा करने का आह्वान करता है, जिसमें बीमारियों के प्रसार तथा हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता संबंधी डेटा शामिल है।
- WHO के तहत PABS का गठन किया गया है, जिससे महामारी की संभावना वाले सभी रोगजनकों के जीनोमिक क्रम को तंत्र में "समान स्तर" पर साझा किया जा सके।
- PABS प्रणाली नई दवाओं और वैक्सीन के अनुसंधान एवं विकास में रोगजनकों तथा उनके आनुवंशिक संसाधनों के ज़िम्मेदार और न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु महत्त्वपूर्ण उपकरण है, साथ ही इन संसाधनों को प्रदान करने वाले देशों तथा समुदायों के अधिकारों एवं हितों को भी स्वीकार करता है।

अन्य प्रमुख तथ्य?

वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग हेतु मौजूदा ढाँचा

- अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (International Health Regulations- IHR), अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक साधन है जो भारत सहित 196 देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
- इसका उद्देश्य रोगों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार को रोकने, उससे बचाव, नियंत्रण और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना है।
- यह एक व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है जो विश्वव्यापी प्रसार की क्षमता रखने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाक्रमों और आपात स्थितियों के प्रबंधन के मामले में विश्व के देशों के अधिकारों तथा दायित्त्वों को परिभाषित करता है।
- IHR, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को मुख्य वैश्विक निगरानी प्रणाली के रूप में कार्य करने हेतु सशक्त बनाता है। ये विनियमन यह निर्धारित करने के मानदंडों को भी रेखांकित करते हैं कि कोई विशेष स्वास्थ्य घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) का गठन कर रहा है या नहीं।

- हेल्थकेयर वर्कफोर्स में लैंगिक असमानताओं की पहचान करने में मसौदे का उद्देश्य समान वेतन पर ज़ोर देकर एवं नेतृत्त्व की भूमिका निभाने में महिलाओं के समक्ष विशिष्ट बाधाओं को दूर कर "सभी स्वास्थ्य तथा देखभाल कार्यकर्त्ताओं का सार्थक प्रतिनिधित्त्व, जुड़ाव, भागीदारी व सशक्तीकरण सुनिश्चित करना" है।

प्रधान मंत्री पीवीटीजी विकास मिशन

समाचार पत्रों में क्यों?

वित्त मंत्री द्वारा 2023-24 के केंद्रीय बजट में देश भर में 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय वर्गीकरण की समग्र सामाजिक-आर्थिक नियमों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधान मंत्री-पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की गई।

त्वरित मुद्दा?

- प्रधानमंत्री पीवीटीजी विका स मिशन 15,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से शुरू किया जाएगा।
- इस मिशन को 'रिकिंग द लास्ट माइल' के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जाएगा, जो बजट में सूचीबद्ध सात सप्तऋषि में से एक है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- इस मिशन के तहत पीवीटीजी संपूर्ण को सुरक्षित आवास, स्वच्छ प्रांश शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सदक तथा दूरसंचार संपर्कता और सार्वभौमिक रूप से संभावनाओं के अनुरूप विकल्प अधिगम रोजगार आवश्यकताएं।
- इस मिशन से लगभग 3.5 लाख आदिवासियों को लाभ प्राप्त होगा।
- गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय भौगोलिक को PVTG के रूप में दाखिल किया गया है। ये लक्षण 18 राज्य तथा अण्डमान और निकोबार समूह में पाए जाते हैं।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय इन विकास से जुड़ी योजनाएँ बनाता है।
- भारत सरकार PVTG की पहचान के लिए निम्नलिखित स्थिति का पालन करती है -
    - प्रौद्योगिकी पूर्व-कृषि स्तर।
    - कमजोरी के स्तर।
    - आर्थिक लेटरेशन।
    - घटती या स्थिर आवास।
- वर्ष 1973 में दहेबर आयोग द्वारा सबसे कम विकसित अटैचमेंट को 'आदिम जनजातीय समूह' (आदिम जनजातीय समूह-पीटीजी) की एक अलग श्रेणी के रूप में रखा गया था।

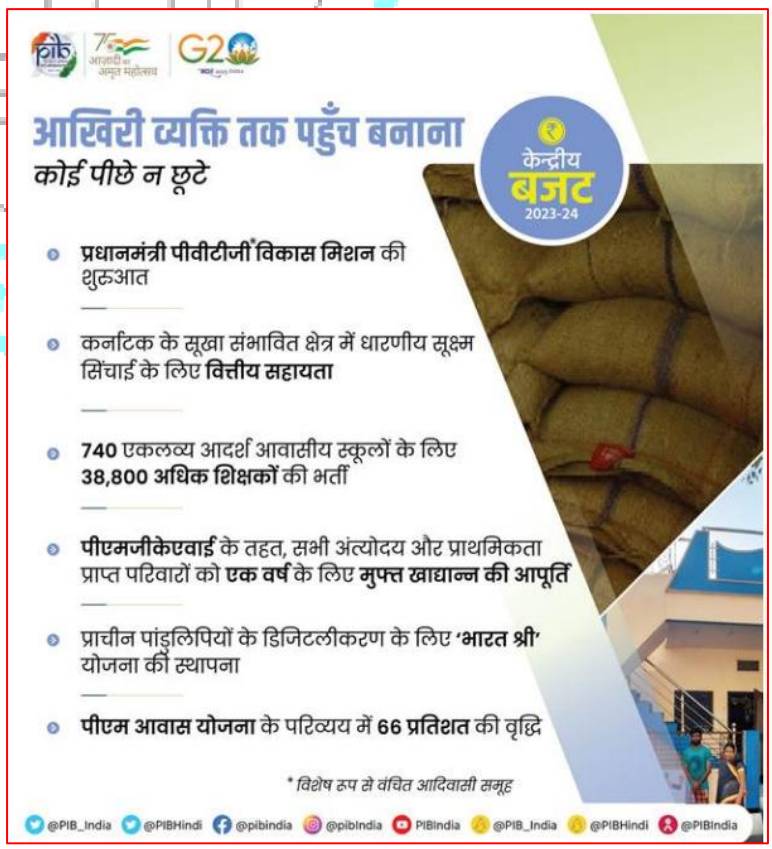

- वर्ष 1975 में भारत सरकार द्वारा पकड़ा गया आदिवासी समूह (PTG) जिसमें एक अलग श्रेणी बनायी गयी और 52 ऐसे लॉकिंग को जोड़ा गया।
    - वर्ष 1993 में 23 अन्य रंगीन को PTG श्रेणी में शामिल किया गया।
- वर्ष 2006 में भारत सरकार ने PTG का नाम अलग-अलग PVTG कर दिया था।
- देश में सूचीबद्ध PVTG की सबसे अधिक संख्या ओडिशा (13) में तथा इसके बाद के क्षेत्रों (12) में पाई जाती है।

एक चुनाव में एक उम्मीदवार द्वारा दो सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक नहीं - सुप्रीम कोर्ट

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 (7) को अवैध घोषित करने की मांग करने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया।

त्वरित मुद्दा?

- सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि यह राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित एक मुद्दा है और इसे संसद को तय करना चाहिए।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 (7) के विरुद्ध यह कहते हुए याचिका दायर की गई थी कि यह धारा एक व्यक्ति, एक वोट, एक उम्मीदवार, एक निर्वाचन क्षेत्र के लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) एक व्यक्ति को एक ही समय में अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति देती है।
- 2018 में केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर आपत्ति जताई थी।
- केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि कानून किसी उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के अधिकार को और उम्मीदवारों की राजनीतिक पसंद को कम नहीं कर सकता है।
- सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि एक उम्मीदवार द्वारा एक चुनाव में दो सीटों पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध के लिए एक विधायी संशोधन की आवश्यकता होगी।
- संविधान द्वारा संसद को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित प्रावधान करने की अनुमति प्रदान की गयी है।
- इसके अंतर्गत संसद ने निम्नलिखित कानून बनाए हैं -
    - जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951
- परिसीमन आयोग अधिनियम 1952

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जनप्रतिनिधियों की योग्यता और अयोग्यता से संबंधित है।9)जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33(7) एक व्यक्ति को एक ही समय में अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति देती है।
- जब कोई उम्मीदवार दो सीटों से चुनाव लड़ता है, तो उसे दोनों सीटों पर जीत हासिल करने पर दोनों में से एक को छोड़ना पड़ता है, इसके बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव कराया जाता है।
- राजा जॉन बंच बनाम भारत संघ वाद (2014) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33(7) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
- अदालत ने पाया कि संविधान के अनुच्छेद 101 में किसी व्यक्ति के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन दाखिल करने या चुनाव लड़ने पर कोई रोक या प्रतिबंध नहीं है।
- अनुच्छेद 101 में कहा गया है कि "कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और संसद द्वारा कानून द्वारा उस व्यक्ति द्वारा अवकाश के लिए प्रावधान किया जाएगा जो एक सदन या दूसरे में अपनी सीट के दोनों सदनों का सदस्य चुना जाता है"।
- अदालत ने कहा कि धारा 33(7) और अनुच्छेद 101 के बीच कुछ भी असंगत नहीं है।

अन्य प्रमुख तथ्य?

चुनाव आयोग का सुझाव

- चुनाव आयोग ने नेताओं को केवल एक सीट से चुनाव लड़ने से रोकने के लिए धारा 33(7) में संशोधन करने का सुझाव दिया था।
- आयोग ने वैकल्पिक रूप से सुझाव दिया कि यदि प्रावधान में संशोधन नहीं किया जाता है, तो दो सीटों से चुनाव लड़ने और जीतने वाले व्यक्ति के लिए अनिवार्य रूप से एक स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए कि उसके द्वारा सीट खाली करने के बाद होने वाले उप-चुनाव की लागत को उसके द्वारा ही वहन किया जायेगा।
- एक अन्य विचार जिसे एक संभावित समाधान के रूप में माना जाता है, कि यदि कोई उम्मीदवार दोनों सीटों से जीत जाता है, तो उपचुनाव कराने की जगह पर, दूसरे सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाना चाहिए।